

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/04-09/10640

दिनांक : 03/12/2020

जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) (नगरपालिका),
अजमेर, बांसवाडा, बीकानेर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौड़गढ़,
चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुंझुनू,
नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर।

विषय:- 90 नगर निकाय आम चुनाव हेतु प्रारम्भिक तैयारी।

संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 8637 दिनांक 17.10.2020

महोदय,

आयोग के संदर्भित पत्र के माध्यम से 129 नगरीय निकायों के आम चुनाव हेतु प्रारम्भिक तैयारी के संबंध में पत्र जारी किया गया था। उक्त 129 नगरीय निकायों में से 42 निकायों के आम चुनाव के लिए कार्यक्रम दिनांक 07.11.2020 को जारी किया जा चुका है। उक्त 129 नगरनिकायों में से आम चुनाव से शेष रहें 87 नगर निकायों में चुनाव होने शेष है। इसके अतिरिक्त नगरपरिषद राजसमंद एवं टोंक जिले की नगरपालिका मालपुरा एवं टोडारायसिंह का कार्यकाल भी माह जनवरी, 2021 में समाप्त हो रहा है। अतः आयोग द्वारा उक्तानुसार 90 नगर निकायों (सूची संलग्न) के आम चुनाव कराए जाने हैं।

उक्त 90 नगर निकायों के आम चुनाव कराने से पूर्व आम चुनाव से संबंधित सभी प्रारम्भिक तैयारियां संदर्भित पत्र में अंकितानुसार आप द्वारा सुनिश्चित की जानी हैं। आम चुनाव हेतु की जाने वाली प्रारम्भिक तैयारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति :- राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारियों व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती हैं। रिटर्निंग अधिकारियों व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा पत्रांक 4139 दिनांक 21.10.2019 द्वारा मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि नगर पालिका के मामलों में प्रत्येक 35 वार्ड के लिए, नगर परिषद के मामलों में प्रत्येक 30 वार्डों के लिए एवं नगर निगम के मामलों में प्रत्येक 10 वार्डों के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी एवं एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाए।

अतः उक्तानुसार रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति 15 दिवस में कर सूचना आयोग को प्रेषित करें। रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी का नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस की सूचना भी आयोग को प्रेषित की जावे।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 12(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशियों की सूचना प्ररूप-‘क’ और, यथास्थिति, प्ररूप ‘ख’ में रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः इस हेतु आवश्यक है कि आप नगर निकायवार रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की सूची समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रेषित करें।

20.9

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 12(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशियों की सूचना प्ररूप-‘क’ और, यथास्थिति, प्ररूप ‘ख’ में रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः इस हेतु आवश्यक है कि आप नगर निकायवार रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की सूची समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रेषित करें।

यदि आप द्वारा अभी तक संलग्न सूची में अंकित नगर निकायों के लिए रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है तो इस संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार इनकी नियुक्ति का कार्य तुरन्त कर लेवे।

2. **मतदान केन्द्रों के संबंध में :-** काविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आयोग के पत्रांक 3875 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या 1400 के स्थान पर 700 तक किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त निर्देशों की अनुपालना में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार नवीन मतदान केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। नगरीय निकायों के आगामी आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों का एक बार भौतिक सत्यापन करा लेवें। यदि किसी मतदान केन्द्र को परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो आयोग के उक्त पत्र में अंकित निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव आयोग को भिजवाएं। कोविड-19 गाईडलाईन की पालना हेतु मतदान कार्य में उचित दूरी रख पाना संभव नहीं हो तो, ऐसे मतदान केन्द्रों के परिवर्तन के प्रस्ताव भी 15 दिवस में निर्धारित प्रारूप में आयोग को भिजवा दें।

3. **मतदान दलों का गठन एवं प्रशिक्षण :-** राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी की सहायतार्थ एक या एक से अधिक मतदान अधिकारी की नियुक्ति करने में सक्षम हैं। मतदान दलों के गठन हेतु निर्देश आयोग के पत्र क्रमांक 1647/17.05.2019, 3482/19.09.2019 एवं 4182/21.10.2019 द्वारा जारी किए हुए हैं। मतदान दलों में केन्द्र सरकार एवं अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक, नगरपालिका स्टाफ, राजनैतिक दल या उम्मीदवार से सम्बद्ध व्यक्ति, अत्यावश्यक सेवाओं के कार्मिक एवं दिव्यांग कार्मिकों की नियुक्ति नहीं की जाए। इसके अतिरिक्त पत्रांक 8233/09.10.2020 द्वारा निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु जारी गाईडलाईन के मतदान कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण संबंधी निर्देशों के अनुसार मतदान कार्य हेतु 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों को नियोजित नहीं किया जाए। गम्भीर रोगों से ग्रसित कार्मिक जिनके कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका अधिक है, को चुनाव कार्य में नियोजित नहीं किया जाए। किन्तु इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को ही मान्य किया जाए। उक्त के अलावा गर्भवती महिलाओं (Pregnant women) एवं धात्री मां (Lactating mothers) को नियुक्त नहीं किया जाए।

मतदान एवं मतगणना दलों के गठन हेतु कार्मिकों के रेन्डमाईजेशन हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदान एवं मतगणना दलों के गठन की कार्यवाही करने हेतु आवश्यक व्यवस्था कर लेवें।

मतदान दलों को दो प्रशिक्षण दिए जाने हैं। प्रथम प्रशिक्षण में मतदान दल के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त प्रथम मतदान अधिकारी को सम्मिलित किया जाना है। द्वितीय प्रशिक्षण मतदान दलों की रवानगी के दिन मतदान दल के सभी सदस्यों को दिया जाएगा। यदि किसी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण या प्रथम प्रशिक्षण में अतिरिक्त सहायक मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता महसूस हो तो आयोग की अनुमति से ऐसा किया जा सकेगा।

20.9.21

4. **मतपत्रों का मुद्रण :-** उक्त 129 नगरीय निकयों के आम चुनाव, 2020 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) द्वारा कराए जाएंगे। ईवीएम की मतदान यूनिट में लगाने हेतु मतपत्र का डिजाइन आयोग के आदेश क्रमांक 4176 दिनांक 21.10.2019 (सांविधिक आदेश संख्या 122/2019) द्वारा विहित किया गया है। डाक मतपत्रों के सम्बन्ध में आयोग का आदेश क्रमांक 4195 दिनांक 21.10.2019 (सांविधिक आदेश संख्या 124/2019) के द्वारा डाक मतपत्र का प्ररूप विहित किया गया है। मतपत्र के मुद्रण हेतु कागज राजकीय मुद्रणालयों से प्राप्त किया जायेगा। **ईवीएम मतपत्र एवं निविदत्त मतपत्र का मुद्रण** और जहां आवश्यकता है, वहां डाक मतपत्र का मुद्रण क्रमशः आयोग के पत्रांक 4232 दिनांक 21.10.2019 एवं पत्रांक 4214 दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्रदान किये गये निर्देशों के अनुसार आपको अपने स्तर पर ही **निजी मुद्रणालयों** से कराया जाना है। निजी मुद्रणालय का चयन और इस सम्बन्ध में निविदा, अनुबन्ध आदि की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आयोग के आदेश दिनांक 1687 दिनांक 20.05.2019 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त कार्यवाही यदि अभी तक पूर्ण नहीं की गई है तो शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर ली जावे। मतपत्र मुद्रण का कार्य पूर्ण सुरक्षा एवं गोपनीयता के साथ सम्पादित कराये जाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

5. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन :-**आयोग द्वारा नगर निकायों के चुनाव हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) उपयोग में ली जावेगी। EVM का आवंटन आपको शीघ्र ही कर दिया जावेगा।

चुनाव में उपयोग करने से पूर्व वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जाँच (First Level Checking) जिला मुख्यालयों पर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL)/भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के इंजीनियर/तकनीशियनों द्वारा की जायेगी। EVM की **FLC** हेतु कार्यक्रम के संबंध में आपको अलग से अवगत करा दिया जायेगा। इस कार्य हेतु ECIL/ BEL के इंजीनियर/तकनीशियन आपके जिले में यथा समय पहुंच जाएंगे, उनके नाम एवं मोबाईल नम्बर की सूचना आपको प्रेषित कर दी जाएगी। FLC उन मशीनों की भी होगी जो कि प्रशिक्षण में काम आयेंगी। ईवीएम की FLC का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मशीनों का भण्डारण सुरक्षित अभिरक्षा में किया जाए। मतदान के लिए मशीनें तैयार करने की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL)/भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के इंजीनियरों के साथ की जायेगी। इस सम्बन्ध में कार्यक्रम से आपको पृथक से अवगत करा दिया जाएगा।

ईवीएम ट्रेकिंग हेतु सॉफ्टवेयर ई-सूची पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके लॉगिन पासवर्ड आपको उपलब्ध करवा दिये गये हैं। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिलों में ईवीएम के संधारण, वितरण एवं मतदान केन्द्रों को आवंटन हेतु रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।

6. **मतदान सामग्री:-**आयोग द्वारा इन नगर निकायों के चुनाव हेतु सामग्री नहीं दी गई है। आयोग के पत्रांक 5260 दिनांक 20.08.2020 के द्वारा पूर्व में ही फार्मों, स्टीकर, डमी बैलेट शीट, मतदाता पर्ची इत्यादि चुनाव सामग्री जिला स्तर पर ही मुद्रित करवाये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुसरण में आप द्वारा चुनाव सामग्री का मुद्रण शीघ्र करवा ली जावें। आयोग द्वारा आपको **SDMM**, लिफाफे, पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका पुस्तक एवं ई.वी.एम. की प्रथम स्तरीय जाँच से संबंधित पिक पेपर सील (नासिक) स्ट्रीप सील उपलब्ध कराये जायेंगे। जिसका आपके पास उपलब्ध सामग्री का आंकलन कर आयोग को माँग पत्र से अवगत करा दिया जावें। आयोग द्वारा आवंटन व दिनांक नियत कर सामग्री प्राप्त करने हेतु आपको सूचित कर दिया जावेगा।

20.09

7. **वाहन किराया, पीओएल एवं यात्रा भत्ता आदि :-**वाहन किराया, पीओएल आदि के सम्बन्ध में विभिन्न वाहनों के लिए दरों का निर्धारण आयोग के पत्रांक 2797 दिनांक 09.08.2019 के द्वारा किया जाकर प्रति आपको प्रेषित की जा चुकी है। यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में आयोग के पत्रांक 3848 दिनांक 07.10.2019 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
8. **बजट आवंटन :-**आम चुनाव की प्रारम्भिक तैयारी हेतु बजट के आवंटन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक बजट की मांग से आयोग को अवगत कराये ताकि तदनुसृत बजट आवंटन किया जा सके। मतदान दलों को एकमुश्त राशि जारी करने तथा मतदान केन्द्रों पर विभिन्न व्यवस्थाएं यथा बिजली, पानी, अल्पाहार इत्यादि हेतु दिशा-निर्देश आयोग के पत्रांक 2599 दिनांक 29.07.2019 के द्वारा प्रेषित कर दिए गए हैं।
9. **कोविड-19 गाईडलाईन की पालना -** निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु आयोग द्वारा आपको गाईडलाईन प्रेषित की जा चुकी है। गाईडलाईन में अंकितानुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना हेतु सभी आवश्यक तैयारियां कर लेवें। मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर तैयारियां चुनाव पूर्व सुनिश्चित की जानी हैं:-
- (i) इस गाईडलाईन में निर्वाचन में नियोजित कार्मिकों को मास्क एवं सैनेटाईजर तथा मतदान दल के सदस्यों को मास्क एवं सैनेटाईजर के साथ साथ ग्लव्स भी उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। आगामी आम चुनाव हेतु नियोजित किये जाने वाले कार्मिकों की संख्या के आधार पर आवश्यक मास्क, सैनेटाईजर एवं ग्लव्स की आवश्यकता का आकलन कर लेवें। यदि आपके पास उक्त सामग्रियों की उपलब्धता में कमी है तो इनके क्रय हेतु आवश्यक व्यवस्था कर लेवें।
- (ii) गाईडलाईन के बिन्दु संख्या 04 में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी तथा बिन्दु संख्या 08 में मतदान के दौरान की जाने वाली व्यवस्था के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रदान किये हुये हैं। इन निर्देशों की पालना हेतु चुनाव पूर्व की जाने वाली सभी तैयारियां सुनिश्चित कर लेवें।
10. **नगरपालिका निर्वाचन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश एवं पुस्तकें :-**
- (i) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 31731 दिनांक 5.8.2019 के माध्यम से नगरनिकायों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त किये जाने के कारण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 में संशोधन किये गये हैं तथा अधिसूचना क्रमांक 24669 दिनांक 19.02.2019 द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम-1994 में एवं अधिसूचना क्रमांक 31478 दिनांक 5.8.2019 द्वारा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 में यथोचित संशोधन किए गए हैं। अतः इन संशोधनों को सम्मिलित करते हुए आयोग द्वारा एक पुस्तिका 'Manual of Municipal Law 2019' तैयार कर आयोग की वेब-साईट पर उपलब्ध है तथा उक्त पुस्तक आयोग के स्टोर से आपको उपलब्ध करवा दी गई है। इसके पश्चात् स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.10.2019 एवं 20.10.2019 से नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से किए जाने सम्बन्धी संशोधन भी जारी किए हैं। अधिसूचना दिनांक 16.10.2019 एवं 20.10.2019 की प्रति आपको प्रेषित कर दी गई है एवं आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

20.9.19

(ii) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकायों के आगामी आम चुनावों हेतु भी आयोग द्वारा स्थाई/अस्थायी प्रकृति के नवीन आदेश जारी किए गए हैं, जिनकी प्रति आपको ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है एवं आदेश/निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गत आम चुनावों के समय एवं इसके पश्चात् समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण आदेशों के संकलन हेतु आयोग द्वारा एक पुस्तिका 'नगरपालिका चुनाव के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2019' आयोग की वेब-साइट पर उपलब्ध है।

(iii) पीटासीन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शिका 2019 तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं इसका वितरण भी शीघ्र ही आपको करवा दिया जावेगा एवं इसके साथ ही आयोग के पत्रांक 5260 दिनांक 20.08.2020 के द्वारा आपको नगरनिकाय चुनाव से संबंधित फार्म, स्टीकर, पिंक पेपर सील, स्पेशल टेग इत्यादि चुनाव सामग्री जिला स्तर पर ही मुद्रित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, यह चुनाव सामग्री आप द्वारा मुद्रित करवा ली गई होगी, यदि मुद्रित नहीं करवायी गयी हो तो शीघ्र मुद्रित करा लें। आयोग से दी जाने वाली सामग्री का आवंटन कर सामग्री प्राप्त करने हेतु आपको अलग से अवगत करवा दिया जावेगा।

(iv) आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश/निर्देश वेबसाइट पर भी अपलोड किये जाते हैं तथा समस्त आदेश/निर्देश सम्बन्धी पत्रादि आयोग द्वारा आपको हार्ड प्रतियों के रूप में प्रेषित नहीं किये जाकर ई-मेल के माध्यम से ही भिजवाये जायेंगे।

प्रायः यह देखा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा एवं उनके अधीनस्थ विभागों द्वारा चुनाव कार्य से सम्बन्धित गतिविधियों, यथा- विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन, प्रकोष्ठों में कार्मिकों की नियुक्ति, विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाली बैठकों का बैठक कार्यवाही विवरण, मतदान दलों का गठन/रवानगी/पहुँच, मतदान सामग्री का वितरण आदि से सम्बन्धित आदेश/निर्देशों की हार्ड प्रति आयोग को प्रेषित की जाती है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि इस तरह के सूचनार्थ प्रेषित किये जाने वाले प्रपत्रों की हार्ड प्रतियाँ आयोग को प्रेषित नहीं की जाएँ।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

90 नगरीय निकायों की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	नगर निकाय का क्रमांक	नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम	अधिसूचना दिनांक 10.06.2019 के अनुसार वार्ड संख्या
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1	अजमेर नगरनिगम	80
		2	न.पा. किशनगढ़	60
		3	न.पा. विजय नगर	35
		4	न.पा. केकड़ी	40
		5	न.पा. सरवाड़	25
2.	बांसवाड़ा	6	न.पा. कुशलगढ़	20
3.	बीकानेर	7	न.पा. नोखा	45
		8	न.पा. देशनोक	25
		9	न.पा. श्रीडूंगरगढ़	40
4.	भीलवाड़ा	10	नगरपरिषद भीलवाड़ा	70
		11	न.पा. शाहपुरा	35
		12	न.पा. जहाजपुर	25
		13	न.पा. माण्डलगढ़	20
		14	न.पा. गंगापुर	25
		15	न.पा. आसीन्द	25
		16	न.पा. गुलाबपुरा	35
5.	बून्दी	17	नगरपरिषद बून्दी	60
		18	न.पा. लाखेरी	35
		19	न.पा. केशोरायपाटन	25
		20	न.पा. नैनवां	25
		21	न.पा. कापरेन	25
		22	न.पा. इन्द्रगढ़	20
6.	प्रतापगढ़	23	नगरपरिषद प्रतापगढ़	40
		24	न.पा. छोटी सादड़ी	25
7.	चित्तौड़गढ़	25	न.पा. बड़ी सादड़ी	25
		26	न.पा. कपासन	25
		27	न.पा. बेगूं	25
8.	चुरू	28	न.पा. रतनगढ़	45
		29	नगरपरिषद सुजानगढ़	60
		30	न.पा. सरदारशहर	55
		31	न.पा. छापर	25
		32	न.पा. बीदासर	35
		33	न.पा. रतननगर	20
		34	न.पा. तारानगर	35
		35	न.पा. राजलदेसर	35
9.	डूंगरपुर	36	नगरपरिषद डूंगरपुर	40
		37	न.पा. सागवाड़ा	35

10.	हनुमानगढ़	38	न.पा. संगरिया	35
		39	न.पा. नोहर	40
		40	न.पा. भादरा	40
		41	न.पा. रावतसर	35
		42	न.पा. पीलीबंगा	35
11.	जैसलमेर	43	न.पा. पोकरण	25
12.	जालौर	44	न.पा. सांचोर	35
13.	झालावाड	45	नगरपरिषद झालावाड़	45
		46	न.पा. भवानीमण्डी	40
		47	न.पा. झालरापाटन	35
		48	न.पा. पिडावा	20
		49	न.पा. अकलेरा	35
14.	झुन्झुनूं	50	न.पा. नवलगढ़	45
		51	न.पा. चिडावा	40
		52	न.पा. बग्गड़	20
		53	न.पा. खेतड़ी	25
		54	न.पा. मण्डावा	25
		55	न.पा. मुकुन्दगढ़	25
		56	न.पा. सूरजगढ़	25
		57	न.पा. उदयपुरवाटी	35
15.	नागौर	58	नगरपरिषद नागौर	60
		59	न.पा. लाडनूं	45
		60	न.पा. मेड़तासिटी	40
		61	न.पा. कुचामनसिटी	45
		62	न.पा. परबतसर	25
		63	न.पा. नावां	25
		64	न.पा. कुचेरा	25
		65	न.पा. मूण्डवा	25
		66	न.पा. डेगाना	25
16.	पाली	67	न.पा. सोजतसिटी	40
		68	न.पा. सादड़ी	35
		69	न.पा. बाली	25
		70	न.पा. तख्तगढ़	25
		71	न.पा. रानीखुर्द	20
		72	न.पा. जैतारण	25
		73	न.पा. फालना स्टेशन	25
17.	राजसमन्द	74	नगरपरिषद राजसमन्द	45
		75	न.पा. देवगढ़	25
18.	सीकर	76	न.पा. फतेहपुर-शेखावाटी	55
		77	न.पा. लक्ष्मणगढ़	40
		78	न.पा. रामगढ़ शेखावाटी	35
		79	न.पा. श्रीमाधोपुर	35
		80	न.पा. खण्डेला	25
		81	न.पा. रींगस	35
		82	न.पा. लोसल	35

19.	ढुूक	83	न.पा. नलवई	35
		84	न.पा. देवली	25
		85	न.पा. उनलरल	20
		86	न.पा. मललपुरल	35
		87	न.पा. ठुडलरलसलंह	25
20.	उदयपुर	88	न.पा. फतेहनगर	25
		89	न.पा. भीणुडर	25
		90	न.पा. सलुडुबर	25
				3035